# विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करके रफ्तार बढ़ाएं अधिकारी पार्षदों के सुझाव पर अमल करना जरूरी : डीएमसी

**सवेरा न्यूज/विजय यादव**

नांगल चौधरी, 20 मार्च : नगर पालिका कार्यालय में डीएमसी रणबीर सिंह ने पार्षदों की मीटिंग ली जिसमें शहर के विकास कार्यों को रफ्तार देने पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान पार्षदों ने अधिकारियों पर लापरवाही बरतने तथा विकास कार्यों के सुझावों को अनदेखा करने के आरोप लगाए। जिस कारण लोगों को दुषित वातावरण व जलभराव जैसी गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। डीएमसी ने वार्ड वाइज समस्याएं सुनने के बाद जल्द ही समाधान प्रक्रिया शुरू कराने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शहरों को वार्डों में विभाजित करके संपूर्ण विकास की रूपरेखा बनाई है। वार्ड पार्षदों के सुझाव और मार्गदर्शन से विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ानी संभव हो पाती है। इस लिए मेंबरों को पेयजल, स्वच्छता, जलभराव, नालियों के निर्माण पर नजर रखनी जरूरी है। विभाग ने निर्धारित अवधि में हाउस की मीटिंग बुलाना जरूरी कर रखा है जिसमें पार्षदों के साथ आम नागरिक भी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने नपा अधिकारियों को फोगिंग मशीन खरीदने तथा वार्ड वाइज स्प्रे कराने के निर्देश दिए हैं। नालियों की नियमित सफाई नहीं होने के कारण मकान गिरने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए डीएमसी ने कहा कि विकास कार्यों में अनियमिताएं तथा धांधली को बर्दाशत नहीं किया जाएगा। मीटिंग में वाइस चेयरमैन मुकेश शर्मा, वार्ड-7 के पार्षद कवर सिंह जाखड़, रिंकू सैनी, निहाल सिंह, धर्मबीर सिंह, रमेश, होशियार सिंह मौजूद रहे हैं।

पार्षदों के साथ मीटिंग में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने पर चर्चा करते डीएमसी रणबीर सिंह।

# विभाग में एक सप्ताह से ज्यादा समय तक लंबित न रहे कोई शिकायत : एसडीएम

**सवेरा न्यूज/दिनेश स्वामी**

कोसली, 20 मार्च : एसडीएम विजय कुमार यादव ने आज समाधान शिविर में आई शिकायतों की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी विभाग में एक सप्ताह से अधिक समय तक कोई शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में समाधान शिविर में आई शिकायतों की गहनता से समीक्षा की जाती है। लघु सचिवालय परिसर में आयोजित हुई इस बैठक में एसडीएम ने कहा कि कोसली उपमंडल में अभी तक 130 शिकायतें समाधान शिविर में मिली हैं। जिनमें से 102 का निपटारा कर दिया गया है। बीस विभिन्न विभागों में लंबित हैं और आठ शिकायतों को शिकायतकर्ता की संतुष्टि ना होने के कारण री-ओपन किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए।

इस अवसर पर डीएसपी विद्यानंद, बीडीपीओ अनिल कुमार, बिजली विभाग के एसडीओ सुमित कुमार, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एसडीओ अनिल कुमार, बीएंडआर के एसडीओ वीरेंद्र सिंह, राजेश कुमार, रणधीर सिंह, रामभतेरी, दल सिंह आर्य आदि मौजूद रहे।

समाधान शिविर में आई शिकायतों की समीक्षा करते हुए एसडीएम विजय कुमार यादव।


**Public Notice**

I, Devendra Kumar, S/o Dharampal Singh, R/o A-7, Rakabganj Fire Station New Delhi 110002, have disowned / debarred my son Suraj Kumar & daughter-in-law Jyoti W/o Suraj Kumar from my all moveable / immoveable properties & severed all relations with them due to their misconduct & misbehaviour. I will not be responsible for any kind of act done by them in future. Anyone dealing with them do so at his / her own cost & risk.

**PUBLIC NOTICE**

NOTICE is hereby given to public at large on behalf of my client Mr. Izaz Ahamad (Share of 75 %) and Mrs. Saira Bano (Share of 25% Share)in respect of Built-Up Plot bearing No. A-6/1, AREA MEASURING 35 Sq.Yds, out of Khasra no. 87, Situated at Village Ghonda Gujran Khadar, in the abadi of Main Road, Near Gas Agency, Shastri Park, Illaqa Shahdara Delhi-110053 claiming to have undisputed ownership. Now my client intends to sell the property in which SMFG India Home Finance Company Limited will provide the financial assistance If any person(s) has/have any objection (s) or claim(s) with respect to the right, title or interest in the said property may please contact us within Seven days from the date of this notice on the number & address mentioned herein below, failing which my client(s) shall not be held responsible in any manner whatsoever.

Khaitan and Khaitan — Authorised Signatory, Khaitan & Khaitan, Frist Floor, 100, Okhla Phase-III, Okhla Industrial Estate, New Delhi - 110020

**सार्वजनिक सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री राज कुमार गुप्ता पुत्र श्री मूलचन्द व श्रीमती रजनी रानी पत्नी श्री राज कुमार निवासी 17/125-बी, झुग्गी 17 ब्लॉक, इंदिरा कैम्प, कल्याण पुरी, दिल्ली-110091 का बेटा शिवम जो कि किसी सैलून में काम करता है और वह गलत लड़कों-लड़कियों की संगत में रह कर वह बिगड़ गया है। शिवम मेरे मुवक्किलों के नियंत्रण में नहीं है। वह कई-कई दिनों तक घर से बाहर रहता है। वह मेरे मुवक्किलों का कहना भी नहीं मानता है। शिवम की गलत गतिविधियों के कारण मेरे मुवक्किल अपना उपरोक्त मकान छोड़ पिछले एक साल से किराये के मकान में रह रहे हैं और एक साल से शिवम मेरे मुवक्किलों के सम्पर्क में भी नहीं है। शिवम के गलत व अनैतिक कृत्यों के कारण मेरे मुवक्किलों की मानहानि हो रही है इसलिए मेरे मुवक्किलों ने शिवम से अपने सभी सम्बंध-विच्छेद करके उसे अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में मेरे मुवक्किलों का शिवम से कोई सम्बंध नहीं होगा। शिवम से सम्बंधित किसी भी कानूनी मामले के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। शिवम के कृत्यों, रुपए-पैसों के लेन-देन, कानूनी मामले व शिकायत आदि के लिए मेरे मुवक्किल व उनके परिवार वाले जिम्मेदार नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति शिवम से अपनी ही जिम्मेदारी पर ही आचार-व्यवहार व लेन-देन करे और उससे सम्बंधित किसी शिकायत के लिए मेरे मुवक्किलों को परेशान न किया जाये।

संजीव कुमार सरन अधिवक्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली

**PUBLIC NOTICE**

It is for general information that I, JAI BHAGWAN S/o HARI SINGH R/o House No-269 Banjara Gali, Haider Pur Village, North West Delhi, Delhi-110088, declare that name of my minor son has been wrongly written as VIHAN in my minor son VIHAAN NIGAM aged 12 Years in his school records. The actual name of my minor son is VIHAAN NIGAM which may be amended accordingly.

**PUBLIC NOTICE**

It is hereby notified for the information of the general public that Sh. Suraj Bhan, resident of V&PO Nilothi, Near Bus Stand, Distt. Jhajjar (Haryana) Pin-124404, hereby declares that due to serious differences and misconduct, he has severed all social, financial and legal relations with his son named Gulshan and his daughter-in-law named Smt. Deepali, with immediate effect.
Henceforth, the above named persons shall have no right, title or claim whatsoever in the properties, movable or immovable, of said Sh. Suraj Bhan. Any person dealing with them shall do so at their own risk, cost and consequences.
Sh. Suraj Bhan and any other member of his family shall not be responsible in any manner for any acts, omissions, liabilities or obligations incurred by the above named Gulshan and his wife Smt. Deepali.

(SANT RAM SANGWAN) Advocate, 5 Civil Court Complex BAHADURGARH, Phone: 9991999192

**PUBLIC NOTICE**

It is for general information that I, NEETU KHANEJA D/O GANESH DASS KHANEJA EX. WIFE OF SUNNY HARJAI R/O 30/106, GALI NO. 7, VISHWAS NAGAR, SHAHDARA, EAST DELHI, DELHI-110032 declare that I got divorce from my husband vide Court Decree HMA No. 322/2018 dated 26.03.2018. Further I remarried with RAVI MEHTA S/O RAJ KUMAR MEHTA R/O 30/106, GALI NO. 7, VISHWAS NAGAR, SHAHDARA, EAST DELHI, DELHI-110032 vide Marriage Certificate No. 90730000244534. Henceforth, I have changed the name of mine and my minor son KAVISH ALIAS REVANT aged 11 years and we shall hereafter be known as NEETU MEHTA and REVANT MEHTA and the father name of my minor son may be known as RAVI MEHTA in future for all purposes.

**PUBLIC NOTICE**

BE AT ALL TO KNOWN THAT my client Sh. Bal Krishan Malhotra S/o Late Indr Raj Malhotra Aged about 88 years R/o H.No. 5080, Chaman Ganj, Roshnara Road, Near Subzi Mandi, Malka Ganj, S.O. North Delhi, Delhi-110007, has disowned his son Sh. Rajesh Malhotra, Daughter-in-Law Mrs. Monika Malhotra W/o Sh. Rajesh Malhotra and grandson Master Ayush Malhotra due to their bad behaviour, frequent quarrels and causing mental and physical harassment. He has severed all relations with them and has debarred them from all his properties (moveable and immovable). Any person dealing with them shall do so at his own risk and responsibility and my client shall not be responsible/liable for the same in any matter whatsoever. And my abovesaid client do not have any concern with any type of cases (Civil and Criminal) against the abovesaid son Sh. Rajesh Malhotra, Daughter-in-Law Mrs. Monika Malhotra W/o Sh. Rajesh Malhotra and grandson Master Ayush Malhotra and my client shall not be responsible any of their activities.

(MAYANK BANSAL) ADVOCATE, Chamber No:- 26-27, 2ND Floor, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.

**SALE NOTICE**

"Avialable for Sale TATA 709 CNG, Regn. No.: DL-1L-AM-3234, Model-2023."
For details Contact:- SUNDARAM FINANCE LIMITED.
Branch: MUNDKA RETAIL, First Floor, Plot No: 657, Opp.to Metro Pillar, No:498, Mundka, Swarn Park, New Delhi - 110 041
Mob: 8130090669

**PUBLIC NOTICE**

This is to inform that my client, Mr. Pradeep Prajapat, is having ownership of the property measuring 95 sq. yards, situated at Abadi Lal Dora, Waka Mauza Badshahpur, Gurugram (Old I.D. 338C1696U205; New I.D. ICVIWOJO), originally purchased by Mr. Vishnu (died unmarried on 30.07.2001) and Mr. Basanta (died on 21.04.2018), S/o Mr. Duli Chand, which has been transferred on 08.12.2022 by all legal heirs- Mr. Pradeep Prajapat, Mr. Sandeep Prajapat, and Ms. Sapna-in favour of Mrs. Rajbala, widow of Late Mr. Basanta, for availing a loan facility from CGHFL. No other legal heirs exist, and no person has any objection regarding the ownership or transfer of the said property. Anyone who finds any document or has any claim, right, or objection regarding the above property is requested to contact at the details below within 7 days of this notice. No claims will be entertained thereafter. Contact: Nex Vision Law Group, Phone: 8287505938



**उत्तर रेलवे**

**शुद्धिपत्र**

संदर्भः निविदा सूचना संख्या 86/2025–2026 दिनांक 12.02.2026. क्र.सं. 09
निविदा संख्या 77269017RGC खुलने की तिथि 27.03.2026

उपरोक्त संदर्भित निविदा में, निविदा खोलने की तिथि 27.03.2026 से बढ़ाकर 27.04.2026 कर दी गई है। अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
शुद्धिपत्र वेबसाइट www.ireps.gov.in पर प्रकाशित किया गया है।
नोटः उपरोक्त संदर्भित निविदा में यह पहला शुद्धिपत्र है।
दिनांकः 19.03.2026 960/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

**उत्तर रेलवे**

**निविदा आमंत्रण सूचना**

| | | | |
|---|---|---|---|
| कार्य का नाम और इसकी स्थिति | 43-R1-SRDEE-G-DLI-2025-26 दिल्ली डिवीजन के ऊपर मालगाड़ी साइडिंग में एचएनजेडएमए टीकेडीए डीईईए एमटीसीए पीएनपी स्टेशनों पर उच्च मस्तूल टावरों की स्थापना और अप्रचलित (जालीदार प्रकार के) उच्च मस्तूल टावरों को हटाने से संबंधित विद्युत कार्य और मौजूदा उच्च मस्तूल टावर की रेलिंग से बाड़ लगाना। | | |
| निविदा की अनुमानित लागत | ₹ 10019343.00/- | कार्यालय का पता | वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियन्ता/ जी, स्टेट एंट्री रोड नई दिल्ली |
| बयाना राशि | ₹ 200400.00/- | निविदा निवेदन की दिनांक व समय | 10.04.2026, 16.00 बजे |
| निविदा खोलने की दिनांक व समय | 10.04.2026, 16.00 बजे | वेब साइट व नोटिस बोर्ड | www.ireps.gov.in वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियन्ता/ जी, नई दिल्ली |

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 954/2026

**ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I, दिल्ली**

चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

**OA NO. 26/2025**

पंजाब नेशनल बैंक ...आवेदक
विरुद्ध
मैसर्स मारुति पॉलीमर्स इण्डस्ट्रीज गुप्ता ...प्रतिवादी

सेवा में,
(1) मैसर्स मारुति पॉलीमर्स इंडस्ट्रीज (अपने पार्टनर्स के माध्यम से) जिसका कार्यालय 451 रिंग रोड, आजादपुर, उत्तर–पश्चिम दिल्ली–110033 पर स्थित है।
(2) श्रीमती पूजा गुप्ता (पार्टनर और गारंटर) पत्नी श्री अभिषेक गुप्ता, निवासी सी–54, पहली मंजिल, अशोक विहार, दिल्ली–110052
(3) श्रीमती डिम्पी गुप्ता (पार्टनर और गारंटर) पत्नी श्री राहुल गुप्ता निवासी सी–54, भूतल, अशोक विहार, दिल्ली–110052
(4) श्रीमती वीना गुप्ता (गारंटर) पत्नी श्री हरि ओम गुप्ता, निवासी सी–54, अशोक विहार, दिल्ली–110052

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरुद्ध रु. 1,09,21,311.99/– (रुपये एक करोड़ नौ लाख इक्कीस हजार तीन सौ ग्यारह तथा पैसे निन्यानवे मात्र) की वसूली के लिए एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक 22–04–2026 को पूर्वा. 10.30 बजे एसआर. रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है (अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया डीआरटी वेबसाइट www.tribunal.gov.in देखें फोन नंबर 011–23748473)। ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।
(i) सभी संबंधित व्यक्ति अपने मामलों में हाइब्रिड मोड (न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर या सिस्को वेबेक्स वीडियो लिंक के माध्यम से) द्वारा उपस्थित हो सकते हैं। (ii) वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति के लिए सभी अधिवक्ता/वादी सिस्को वेबेक्स एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, (iii) माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार/वसूली अधिकारी–I/और वसूली अधिकारी–II द्वारा लिए जाने वाले मामलों की सुनवाई की अगली तिथि के लिए मीटिंग आईडी और पासवर्ड, सार्वजनिक सूचना शीर्षक के अंतर्गत डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल यानी drt.gov.in पर अगली तिथि से एक दिन पहले उपलब्ध होंगे। (iv) किसी भी आपात स्थिति में, अधिवक्ता/वादी संबंधित अधिकारी से फोन नंबर 23748473 पर संपर्क कर सकते हैं।
यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाधिकरण की मुहर से दिनांक 12 जनवरी, 2026 को दिया गया।
इस न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा


# किसान के खेत में दबंगई, अवैध पत्थरों का ढेर लगाकर खड़ी फसल और सिंचाई तंत्र किया बर्बाद, पुलिस से गुहार

**सवेरा न्यूज/ईश्वर धामु**

भिवानी, 20 मार्च : तोशाम क्षेत्र के गांव खरकड़ी माखवान गांव के किसान सतबीर सिंह अपनी ज़मीन पर अचानक पैदा हुई मुसीबत को देखकर बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं। उनके हरे-भरे खेत को रातों-रात पत्थरों के एक बड़े ढेर में तब्दील कर दिया गया है, जिससे ना केवल उनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, बल्कि उनका सिंचाई तंत्र भी टूट गया है। यह पूरा मामला दबंगई और कानून को ताक पर रखने का लग रहा है। गौरतलब होगा कि धारण रोड पर ओवरलोड डंफरो द्वारा रोजाना किसानों के खेतों में नुकसान करने की घटनाएं आती रहती है। लेकिन आज तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इस बारे में किसान सतबीर सिंह तोशाम थाना के प्रभारी को शिकायत सौंपी। उन्होंने बताया कि बीते कुछ दिनों पूर्व रात करीब 8:30 बजे एक ओवरलोड ट्रक लापरवाही से उनके खेत में दाखिल हुआ। उन्होंने बताया कि ड्राइवर ने बिना किसी अनुमति या चेतावनी के खेत में लगे कटीले तारों के बाड़ को तोड़ा और सीधे खेत के अंदर घुसकर पत्थरों का पूरा ढेर खाली कर दिया। यह सब इतनी तेज़ी और बेपरवाही से किया गया कि किसान को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सतबीर सिंह का कहना है कि यह पत्थर अवैध हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि इन्हें यहां क्यों डाला गया या ये कहां से आए।

उन्होंने आशंका जताई है कि या तो ट्रक मालिक ने इन पत्थरों को ठिकाने लगाने के लिए उनके खेत का गलत इस्तेमाल किया है या फिर यह किसी बड़े भूमि विवाद या दबंगई की शुरुआत हो सकती है। इस लापरवाही और अवैध काम के कारण, किसान की मेहनत से उगाई गई फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि ट्रक मालिक और ड्राइवर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके खेत से पत्थरों के इस बड़े और अवैध ढेर को तुरंत हटवाया जाए, ताकि वे फिर से खेती कर सकें, फसल, सिंचाई तंत्र और बाड़ के नुकसान का उचित मुआवजा दिलाया जाए।

# अन्नदाताओं को फसल के नुकसान का हक पाने के लिए दर-दर भटकने पर मजबूरः अनिरूद्ध चौधरी

**सवेरा न्यूज/ईश्वर धामु,** भिवानी, 20 मार्च : जिले में हुई बेमौसम बरसात और भारी ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में खड़ी और कटी हुई फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। इसी जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने प्रभावित गांवों का दौरा किया। अनिरुद्ध चौधरी ने गांव अलखपुरा व भारीवास सहित आसपास के कई अन्य गांवों में पहुंचकर किसानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ओलावृष्टि से बिछी हुई फसलों को देखा और किसानों की व्यथा सुनी। इस दौरान अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि किसान पहले ही कर्ज और महंगाई की मार झेल रहा है, ऊपर से कुदरत के इस कहर ने रही-सही कसर पूरी कर दी है। उन्होंने कहा कि बरसात व ओलावृष्टि से फसलें पूरी तरह जमीन पर बिछ गई हैं। अब किसान के पास अगली फसल के लिए बीज और खाद तक के पैसे नहीं बचे हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार बिना किसी देरी के अधिकारियों को फील्ड में भेजे और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी करवाकर तत्काल प्रभाव से पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही गिरदावरी की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई और मुआवजा नहीं दिया गया, तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मिलकर सडक़ पर उतरने से गुरेज नहीं करेगी।


**पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड**

PEGASUS
कॉर्पोरेट कार्यालयः 55-56, 5वीं मंज़िल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021
रजिस्टर्ड कार्यालय : 507, डाटामल हाउस, जमनालाल बजाज रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021

**ई-नीलामी द्वारा बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना**

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों का विक्रय, जिसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए।

इसके द्वारा आम जनता को, और विशेष रूप से नीचे बताए गए उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं), गारंटर(ों) और मार्टगेजर(ों) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित सुरक्षित संपत्तियां (जो अचल संपत्ति हैं और सुरक्षित लेनदार, Pegasus Assets Reconstruction Private Limited के पास मार्टगेज्ड/प्रभारित हैं - जो Pegasus 2023 Trust 10 (Pegasus) के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहा है, और जिसे Jana Small Finance Bank Ltd. ("JSFBL") द्वारा दिनांक 28.03.2024 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से, SARFAESI Act, 2002 के प्रावधानों के तहत, नीचे बताए गए उधारकर्ताओं के ऋणों के साथ-साथ अंतर्निहित प्रतिभूति हितों का हस्तांतरण किया गया है) को SARFAESI Act और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत "जैसा है जहाँ है" (As is where is), "जैसा है वैसा है" (As is what is) और "जो कुछ भी है" (Whatever there is) के आधार पर बेचा जा रहा है।
पेगासस के अधिकृत अधिकारी ने SARFAESI अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत, दिनांक 10-01-2025 को नीचे वर्णित सुरक्षित संपत्तियों (जो कि अचल संपत्ति हैं) का भौतिक कब्जा ले लिया है।
नीलामी का विवरण इस प्रकार है:

| | |
|---|---|
| ऋण लेने वाले(ों) सह-ऋण लेने वाले(ों) गारंटर(ों) और मार्टगेजर के नाम: | ए) श्री अमित लोहिया पुत्र कैलाश चंद लोहिया (आवेदक) बी) श्रीमती श्वेता लोहिया पत्नी अमित लोहिया (सह-आवेदक) |
| बकाया राशि, जिसके लिए सुरक्षित संपत्तियाँ बेची जा रही हैं: | 03/01/2026 की स्थिति के अनुसार रु. 3,27,58,221.40 (तीन करोड़ सत्ताईस लाख अट्ठावन हजार दो सौ इक्कीस रुपये और चालीस पैसे केवल), साथ ही संविदात्मक दर पर ब्याज और उस पर लगने वाले खर्च, शुल्क और व्यय, जो 04/01/2026 से लेकर भुगतान और वसूली की तारीख तक प्रभावी होंगे। |
| सुरक्षित संपत्ति का विवरण, जो कि एक अचल संपत्ति है, और जिसे बेचा जा रहा है | उस अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा और टुकड़ा, जिसका कमर्शियल शॉप नंबर UGF-4 है, जो अपर ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है (बिना छत के अधिकार के), जिसका अनुमानित सुपर कवर्ड एरिया 1810 वर्ग फुट (168.149 वर्ग मीटर) है। यह संपत्ति सेक्टर-9, वसुंधरा, तहसील और जिला गाजियाबाद, U.P. में स्थित "अर्बन स्क्वायर" नामक बहुमंजिला आवासीय/कमर्शियल इमारत/कॉम्प्लेक्स में प्लॉट नंबर CP-03/9 पर बनी हुई है। इसमें जमीन में अविभाजित आनुपातिक हिस्सा और उक्त इमारत में साझा जगह (Common Space Area), संपत्तियों और उपकरणों में साझा हित शामिल है। इस संपत्ति के मालिक श्री अमित लोहिया हैं, जो श्री कैलाश चंद लोहिया के पुत्र हैं। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: P.No.9/CP-2, पश्चिम: P.No.9/CP-4, उत्तर: 45 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण: 9 मीटर चौड़ी सड़क। |
| आरक्षित मूल्य, जिससे कम पर सुरक्षित एसेट नहीं बेची जाएगी। | रु. 1,83,24,000/- (केवल एक करोड़ तिरासी लाख चौबीस हजार रुपये) |
| बयाना राशि जमा (EMD): | रु. 18,32,400/- (अठारह लाख बत्तीस हजार चार सौ रुपये मात्र) |
| यदि कोई दावे हैं, जो संपत्ति के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए हैं, और कोई अन्य बकाया, जिनकी जानकारी सुरक्षित लेनदार को है, तथा उनका मूल्य | ज्ञात नहीं |
| CERSAI आईडी | सुरक्षा ID: 400069894418; एसेट ID: 200071099175; |
| संपत्तियों का निरीक्षण: | 06.04.2026 को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक |
| संपर्क व्यक्ति और फोन नंबर: | श्री रमाकांत पांडे (अधिकृत अधिकारी) मो. नं. 9087788888 श्री रमेश गिरि मो. नं. 9312646035 |
| बोली जमा करने की अंतिम तिथि: | 13.04.2026 शाम 4:00 बजे तक |
| बोली खोलने का समय और स्थान: | वेबसाइट (www.foreclosureindia.com) (https://bankauctions.in) के माध्यम से ई-नीलामी/बोली 14.04.2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक। |

यह प्रकाशन, "सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002" के नियम 8 के तहत, ऊपर बताए गए उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों और मार्टगेजरों को पंद्रह (15) दिनों का नोटिस भी है।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी http://www.pegasus-arc.com/ assets-to-auction.html या वेबसाइट (www.foreclosureindia.com) (https://bankauctions.in) देखें, या बोली जमा करने से पहले सेवा प्रदाता M/s. 4 Closure से संपर्क करें। श्री प्रकाश - संपर्क नंबर: 8142000064. मेल ID: info@bankauctions.in/ prakash@bankauctions.in

स्थान : वसुन्धरा – गाजियाबाद
तिथि : 20.03.2026
हस्ता/- अधिकृत अधिकारी, पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, PEGASUS 2023 Trust 10 के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए



**सार्वजनिक सूचना**

सर्व संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि:
यह सूचित किया जाता है कि संपत्ति प्लॉट संख्या 4, पॉकेट/ब्लॉक H-1, आवासीय 7% ग्राम आबादी, ग्राम/ सेक्टर–25 (फतेहपुर अट्टा), क्षेत्रफल 540 वर्ग मीटर, जो कि दिनांक 17.08.2013 को आवंटन संख्या YEA/भूलेख/1471/2013 के अंतर्गत Yamuna Expressway Industrial Development Authority, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश द्वारा आवंटित की गई थी, वर्तमान में विवादित संपत्ति है।
दिनांक 10.12.2021 को इमामुद्दीन एवं हसमुद्दीन (विक्रेता) तथा रेखा पत्नी श्री संजीव भारद्वाज (क्रेता) के बीच कुल INR 55,51,000/- (पचपन लाख इक्यावन हजार रुपये) के प्रतिफल पर एक एग्रीमेंट टू सेल निष्पादित किया गया था, जिसमें से ₹55,50,000/- (पचपन लाख पचास हजार रुपये) का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।
उक्त संपत्ति के संबंध में विशिष्ट निष्पादन (Specific Performance), घोषणा (Declaration) एवं निषेधाज्ञा (Injunction) हेतु वाद शीर्षक "रेखा बनाम इमामुद्दीन एवं अन्य" माननीय न्यायालय, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर के समक्ष विचाराधीन है।
अतः आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि उपरोक्त संपत्ति के संबंध में कोई भी व्यक्ति खरीद–फरोख्त, लेन–देन, हस्तांतरण या किसी भी प्रकार का तृतीय पक्ष अधिकार सृजित न करे। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो वह अपने जोखिम एवं परिणामों के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

हस्ताक्षरित/–
रेखा
माध्यम से अधिवक्ता
अतुल कुमार सिंह (अधिवक्ता)
F-150, सेक्टर–22, नोएडा – 201301

**सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया / Central Bank of India**

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः केदार बिल्डिंग, सब्जी मंडी (0295), दिल्ली–110007

**सार्वजनिक सूचना**

को,
श्रीमती पूजा पत्नी श्री रमेश (उधारकर्ता) और
श्री रमेश पुत्र श्री रघुवीर (सह-उधारकर्ता)
दोनों पते :
1. मकान नंबर 74/53, ग्राउंड फ्लोर, ट्रांसपोर्ट लेन, JJ क्लस्टर, अशोका मार्केट, बुलेवार्ड रोड, भार्गव लेन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उत्तरी दिल्ली - 110054
2. दूसरी मंज़िल (बिना छत/टैरेस के अधिकार के, म्युनिसिपल नंबर 712, प्राइवेट नंबर A-3, मुकीमपुरा, सब्जी मंडी, दिल्ली - 110007
विषयः दूसरी मंज़िल से बरामद इन्वेंट्री आइटमों को ले जाने का अनुरोध बिना छत/टैरेस के अधिकार के, जिसका म्युनिसिपल नंबर 712, प्राइवेट नंबर A-3, मुकीमपुरा, सब्जी मंडी, दिल्ली -110007 है।
उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, आपको सूचित किया जाता है कि बैंक ने SARFAESI अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार, दिनांक 23.12.2025 को निर्धारित सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से ऊपर उल्लिखित संपत्ति की सफलतापूर्वक नीलामी कर दी है; और दिनांक 16 जनवरी, 2026 को बैंक ने संपत्ति का खाली कब्जा नीलामी क्रेता को सौंप दिया है। नीलाम खरीदार को उपर्युक्त संपत्ति का खाली कब्जा सौंपते समय, बैंक ने उन इन्वेंट्री वस्तुओं (सूची इसके साथ संलग्न है) को अपनी हिरासत में ले लिया है, जो बैंक द्वारा भौतिक कब्जा लिए जाने के समय से ही परिसर में पड़ी हुई थीं। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि आप इस पत्र के मिलने के 15 दिनों के भीतर इन्वेंट्री का सामान ले लें; ऐसा न करने पर, इस सामान को सुरक्षित रखने के लिए आप पर 10,000 रुपये तक का अतिरिक्त मासिक किराया (विलंब दायित्व) लगेगा और यदि आप यह राशि चुकाने में भी विफल रहते हैं, तो बैंक इन्वेंट्री के सभी सामानों की नीलामी करके यह राशि वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा।

हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी),
स्थानः नई दिल्ली तिथिः 20/03/2026 — सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सब्जी मंडी शाखा, दिल्ली


# शिव हाई स्कूल कमानिया के तीन विद्यार्थियों ने नवोदय में लहराया परचम प्रबंधन कमेटी ने प्रशंसा पत्र देकर किया सम्मानित

**सवेरा न्यूज/विजय यादव**

नांगल चौधरी, 20 मार्चः कमानिया गांव में स्थापित शिक्षण संस्थान शिव हाई स्कूल ने उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली का परिचय देते हुए गौरव हासिल किया है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के घोषित परिणामों में विद्यालय के तीन होनहार विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त कर स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मेधावी बच्चों को संस्था के चेयरमैन अनिल स्वामी ने प्रशंसा पत्र देकर प्रोत्साहित किया है। सम्मान समारोह की अध्यक्षता प्राचार्य मोहनलाल ने की है।

गौरतलब है कि शिव हाई स्कूल कमानिया लगातार बेहतर परिणामों के लिए जाना जाता है। बीते वर्ष भी विद्यालय के चार विद्यार्थियों ने नवोदय परीक्षा उत्तीर्ण कर स्कूल का नाम ऊंचा किया था। इस वर्ष भी तीन विद्यार्थियों की सफलता ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि विद्यालय में शिक्षा का स्तर निरंतर उच्च बना हुआ है। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार, यहां पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहनलाल ने बताया कि बच्चों की इस सफलता के पीछे उनकी मेहनत, शिक्षकों का समर्पण और अभिभावकों का सहयोग मुख्य कारण है। उन्होंने सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में राहुल कुमार, सतीश कुमार, सुमित, छोटेलाल, उगंता देवी, कविता कुमारी, पूजा, मंजीता उपस्थित रही हैं।

## जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यशाला में विभिन्न कानूनी योजनाओं की जानकारी

**सवेरा न्यूज/ईश्वर धामु भिवानी, 20 मार्च :** जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आमजन तक कानूनी सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया के निर्देशानुसार यह कार्यशाला लघु सचिवालय स्थित एडीआर सेंटर के कॉन्फ्रेंस हॉल में संपन्न हुई। कार्यशाला की अध्यक्षता सीजेएम-कम-सचिव पवन कुमार ने की। कार्यशाला में पैनल अधिवक्ताओं, मध्यस्थ अधिवक्ताओं तथा नवनियुक्त पैरालीगल वालंटियर्स ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीजेएम पवन कुमार ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य विधिक सेवाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।


**सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया / Central Bank of India**

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय (गुरुग्राम) 1398, प्रथम तल, चाँदनी चौक, दिल्ली-110006, दूरभाषः 011-41028985

**ई–नीलामी बिक्री सूचना** (सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत)

**परिशिष्ट - IV - A [नियम 8(6) एवं 9(1) का प्रावधान देखें] चल/अचल सम्पत्ती की बिक्री हेतु बिक्री सूचना**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत चल/अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।
एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित चल सम्पत्ति, जिसका भैतिक/सांकेतिक कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बकाये की वसूली हेतु उसकी बिकी 10.04.2026 को "जहाँ है जैसा है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) सम्बद्ध सम्पत्तियों के विवरणों के सम्मुख प्रदर्शित है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया www.centralbankofindia.co.in अथवा (https://BAANKNET.com) में प्रावधानित लिंक देखें।

**10.04.2026 को नीलामी की जाने वाली सम्पत्तियों का विवरण (15 दिवसीय सूचना)** (राशि रूपयें में)

| क्र. सं. | शाखा का नाम | अधिकृत प्राधिकारी/शा.प्र. | खाते का नाम | सम्पत्ति का विवरण तथा स्वामी का नाम | मांग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि (रु. लाख में) | कब्जे की तिथि एवं प्रकार | आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वसंत कुंज नई दिल्ली | मि. राहुल मेहता मोबाईल : 9811040603 (समाधान एजेंट) | श्रीमती सोनिया वालिया पत्नीः रॉनी वालिया वाहन ऋण खाता संख्या 5281732185 | चार पहिया वाहन - महिंद्रा थार मॉडल नंबर - THAR LX D AT 4WD 4S CT रजिस्ट्रेशन नंबर - DL10CU3200 चेसिस नंबरः MA1UJ4YF7N2F18084 इंजन नंबरः YFN4F53775, रंगः रैड रेज निर्माण का महीना-वर्षः 06/2022 ईंधन का प्रकारः डीजल मालिकः श्रीमती सोनिया वालिया, पत्नी श्री रॉनी वालिया | 13(2) नोटिस की तारीखः 09.01.2025 रु.13,44,570.08 दिनांक 09.01.2025 तक + ब्याज और अन्य शुल्क उस पर | 06.09.2025 (मूल कब्जा) | ₹ 8,00,000.00 / ₹ 80,000.00 / ₹ 8,000.00 |
| 1. | नारायणा नई दिल्ली | मि. पियूश पुष्पम मोबाईल : 8800013528 | सतीश कुमार सिंह और पूनम सिंह | आवासीय संपति संख्या नं.-1/5 और 6, पहली मंज़िल का पिछला हिस्सा, छत/टैरेस के अधिकार के बिना, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, ग्राम-पालम, कॉलोनी- राजपुरी, गली संख्या- 5, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में स्थित। मालिक- श्रीमती पूनम सिंह पत्नी श्री सतीश कुमार सिंह और श्री सतीश कुमार सिंह पुत्र श्री तेज बहादुर सिंह | 13(2) नोटिस की तारीखः 18.12.2025 रु.11,26,590.45 दिनांक 18.12.2025 तक + + ब्याज और अन्य शुल्क उस पर | 28.06.2025 (मूल कब्जा) | ₹ 16,00,000.00 / ₹ 1,60,000.00 / ₹ 15,000.00 |

**ई–नीलामी की तिथिः 10.04.2026, समयः 12:00 बजे दोपहर से 04:00 बजे सायं तक 10 मिनट के स्वतः विस्तार सहित**

ईएमडी तथा दस्तावेज (ऑनलाइन) जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समयः 10.04.2026 को 03:30 बजे अप. तक। संविदाकार वेबसाइटः https://BAANKNET.com पर पंजीकरण करेंगे तथा केवाईसी दस्तावेज जमा करेंगे और सेवा प्रदाता द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद एनईएफटी/आरटीजीएस/ ट्रांसफर/ (https://BAANKNET.com) से चालान उत्पन्न करने के माध्यम से BAANKNET.com ईएमडी वॉलेट में जमा करना होगा। नीलामी सामान्य लैंडिंग प्लेटफॉर्म ई-विक्रय पोर्टल (https://BAANKNET.com) के माध्यम से आयोजित की जायेगी। ई-नीलामी "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर आयोजित की जायेगी। (सम्पत्ति के अन्य सभी शुल्क/बकाया क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे) विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइटः www.centralbankofindia.co.in अथवा नीलामी प्लेटफार्म (https://BAANKNET.com) में प्रावधानित लिंक देखें। BAANKNET हेल्पडेस्कः (+91) 8291220220, ई-मेलः support.BAANKNET@psballiance.com

**सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना**

कर्जदार/ जमानतियों/ बंधककर्ताओं को एतद्द्वारा ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि अदा करने के लिये अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल होने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों सहित वसूल किया जायेगा।

दिनांकः 20.03.2026
स्थानः दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षे.का. (गुरुग्राम), चाँदनी चौक, दिल्ली